"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 166] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2017—— वैशाख 8 , शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2017/नौ/55-4. — छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों में तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शासकीय नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.-**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

(3) राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य कोटे की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटों पर प्रवेश, इन नियमों के आधार पर दिया जाएगा।

2. **परिभाषायें.-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"एजेंसी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी;

(ख) **"वास्तविक निवासी"** से अभिप्रेत है ऐसा आवेदक (अभ्यर्थी), जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र/अधिसूचना/आदेशों के अन्तर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो (परिशिष्ट-एक);

(ग) **"श्रेणी"** से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;

(घ) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है महिला या नि:शक्तजन संवर्ग;

(ङ) **"महाविद्यालय"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय;

(च) **"परिषद्"** से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद;

(छ) **"पाठ्यक्रम"** से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम;

(ज) **''संचालक''** से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(झ) **"संचालनालय"** से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन;

(ञ) **''प्रवेश परीक्षा''** से अभिप्रेत है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) (NEET-PG);

(ट) **"अंतिम प्रवेश प्रक्रिया"** से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की तिथि में आबंटन स्थल पर ही अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु की गई प्रक्रिया;

(ठ) **"सेवारत अभ्यर्थी"** से अभिप्रेत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन ''सी.आर.एम.सी.'' क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारी (नियमित/तदर्थ/संविदा आधार पर) जिन्होंने वर्तमान प्रवेश सत्र के 28 फरवरी को तीन वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो;

(ड) **''अल्पसंख्यक महाविद्यालय''** से अभिप्रेत है महाविद्यालय या संस्थान, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक घोषित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालित हो तथा जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो;

(ढ) **''बिना संवर्ग''** से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो नियम 2 के खण्ड (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हों;

(ण) **''निःशक्तजन''** से अभिप्रेत है ऐसा निःशक्तजन जैसा कि ''निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का सं. 1) की धारा 2 के उप–खंड (न) के अधीन परिभाषित हो तथा जो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रतिमानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हो (निःशक्तता हेतु प्रमाणीकरण–परिशिष्ट–दो);

(त) **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(थ) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़;

(द) **''सी.आर.एम.सी.''** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा यथा अधिसूचित, वर्तमान में यथा लागू छत्तीसगढ़ ग्रामीण चिकित्सा कोर योजना।

3. सामान्य.–

(एक) स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/विश्वविद्यालय/राज्य शासन/भारत सरकार/महाविद्यालय की यथास्थिति, प्रवेश परीक्षा आबंटन तथा प्रवेश के दौरान समय–समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधन द्वारा शासित तथा विनियमित होंगी।

(दो) महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रैक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।

(तीन) सभी पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा केवल पात्र पंजीकृत अभ्यर्थी को ही सीट आबंटित की जायेगी। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि ऑनलाईन पंजीयन के दौरान यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जो वांछित जानकारी दी जा रही है वह पूर्ण रुप से सत्य है। ऑनलाईन पंजीयन के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह भी दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें। सही जानकारी के अभाव में प्रार्थी को आबंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(चार) अभ्यर्थी द्वारा NEET-PG को प्रेषित किये गये ऑनलाईन पंजीयन अर्थात् आवेदन पत्र के साथ जो फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं उसी फोटोग्राफ की प्रतियां सम्पूर्ण काउंसिलिंग एवं आबंटन पश्चात् संस्था में प्रवेश हेतु आवश्यक होगी।

(पांच) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन काउंसिलिंग के दौरान अपलोड किये गये हस्ताक्षर के नमूने से आबंटन उपरान्त आबंटित संस्था में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किये गये हस्ताक्षर का मिलान होना आवश्यक है। हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आबंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा। परीक्षा एजेंसी द्वारा परीक्षा उपरान्त उपलब्ध कराये गये अभ्यर्थी का बॉयोमेट्रिक विवरण का भी प्रवेश उपरान्त मिलान किया जाना संस्था में प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा।

(छः) अभ्यर्थी द्वारा NEET-PG की रिजल्ट/स्कोर शीट स्कूटनी एवं एडमीशन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) प्रस्तुत करना होगा।

(सात) सभी पी.जी. प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा के भीतर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(आठ) छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में प्रतिवर्ष 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं संस्था प्रमुख की अनुमति से कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप हेतु अधिकतम 10 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष के विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

टीपः—1. अवकाश नियम सेवारत अभ्यर्थियों के लिये भी लागू होंगे।

2. अवकाश की निर्धारित सीमा (15 दिवस) से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थित दिवस अवैतनिक अवकाश के खाते में विकलनीय होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस प्रति शैक्षणिक सत्र होगी।

(नौ) पाठ्यक्रम पूर्ण करने उपरान्त विभाग में वापसी—पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है। पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा । प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु इस अवधि के लिये कोई वृत्ति(स्टायफण्ड) अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा ।

4. पात्रता.— केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो —

(क) जिस अभ्यर्थी ने छत्तीसगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो साथ ही छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सेवारत चिकित्सकों/अभ्यर्थियों हेतु परिभाषित नियम 2 (ठ) के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होगीः

परंतु जिन्होंने दूर—दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में 28 फरवरी, 2017 तक कम से कम तीन वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, उनके लिए उपरोक्त नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(ख) जिसने परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् परीक्षा वर्ष की 31 मार्च को या उसके पूर्व इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो।

(ग) जिसने एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में, अनारक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 50% अंक, आरक्षित श्रेणी के लिये न्यूनतम 40% अंक तथा अनारक्षित श्रेणी के शारीरिक रूप से निःशक्त संवर्ग के लिये 45% अंक प्राप्त किये हों अथवा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् एवं केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित श्रेणी हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक अर्जित किये हों तथा न्यूनतम अर्हकारी अंकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता/पूर्णन (rounding off) किया जाना, स्वीकार्य नहीं होंगे ।

(घ) किसी भी अभ्यर्थी (सेवारत सहित) जिसने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो अथवा संस्था से उक्त अभ्यर्थी का निष्कासन किया गया हो। तो उसे सीट परित्याग/निष्कासन तिथि से यथा स्थिति डिग्री हेतु आगामी तीन वर्ष तथा डिप्लोमा हेतु आगामी दो वर्षों के लिये राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) वे अभ्यर्थी जिन्होने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने के दिनांक से क्रमशः आगामी तीन/दो वर्ष तक राज्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन अखिल भारतीय कोटे से राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मे हुआ हो तथा राज्य कोटे हेतु आयोजित काउंसिलिंग द्वारा भी उसे सीट आबंटित होने की स्थिति में उसे केवल एक ही सीट पर प्रवेश लेने की पात्रता होगी। राज्य कोटे से प्रवेश लेने की स्थिति में अखिल भारतीय कोटे की सीट का परित्याग करना होगा।

टीप—अभ्यर्थी द्वारा राज्य अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित अवधि पूर्ण होने/न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तभी वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

5. **अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.**— अल्पसंख्यक संस्थान, अपने संस्थान में प्रवेश हेतु अतिरिक्त अन्य अर्हतायें भी निर्धारित कर सकेंगे किंतु उन्हें इस अतिरिक्त अर्हता के मापदण्ड के संबंध में, परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी के पूर्व संचालक, चिकित्सा शिक्षा को लिखित में सूचना देनी होगी जिससे कि उन्हें प्रवेश विवरणिका में सम्मिलित किया जा सके ।

6. **सीटों का आरक्षण.**—(1) सेवारत अभ्यर्थियों हेतु परिभाषित नियम 2 (ठ) के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 50 प्रतिशत सीटें सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होगी, जिन्होंने दूर—दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 03 वर्ष तक सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी समय—समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित दूर—दराज के और दुर्गम क्षेत्रों में दो वर्षों तक और सेवा करेंगे।

(2) प्रत्येक संस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिये 32%, अनुसूचित जाति के लिये 12% तथा अन्य पिछड़े वर्ग (गैर—क्रीमीलेयर) के लिये 14% आरक्षण रहेगा। उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम/नियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप रहेगा ।

(3) महिला सवंर्ग हेतु 30% तथा निःशक्तजन संवर्ग हेतु 3% क्षैतिज आरक्षण होगा।

(क) सबसे पहले निःशक्तजन की सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगो की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, इस प्रकार नहीं भरी गई सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की निचले अंगो की स्थायी लोकोमोटर अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जायेगा;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के प्रतिमानकों के अनुसार निम्नलिखित अशक्ततायें/प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी, पात्र नहीं होंगे, अर्थातः—

(एक) ऊपरी अंग निःशक्तजन;

(दो) दृष्टिबाधित निःशक्तजन;

(तीन) बधिरीय निःशक्तजन;

(चार) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता;

(पांच) पात्रता प्रमाणपत्र जो काउंसिलिंग के समय 3 माह से अधिक पुराना न हो।

(4) उपरोक्त उप–नियम (1) में उल्लिखित आरक्षण के अनुसार सीटों का विषयवार आबंटन लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायेगा, जिसकी सूचना संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी ।

7. **चयन प्रक्रिया.**–(क) प्रवेश परीक्षाः– (एक) स्नातकोत्तर एमडी/एमएस एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन नई दिल्ली द्वारा घोषित वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु परीक्षा (NEET-PG) के परिणाम पर आधारित प्रावीण्य सूची मान्य की जायेगी।

(दो) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए तथा अपलोडेड मूल दस्तावेज ही प्रभावी होंगे। इसके पश्चात् कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होंगे।

(तीन) ऑनलाईन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता संबंधी जानकारी जैसे मूल निवासी, जाति एवं संवर्ग (महिला, निःशक्तजन) में चयन उपरांत कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) परीक्षा परिणामः– (एक) जिन अभ्यर्थियों ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र हेतु परीक्षा (NEET-PG) का ऑनलाईन आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ राज्य से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का विकल्प का चयन किया है, केवल उन्ही अभ्यर्थियों का नाम राज्य कोटे की प्रावीण्य सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(दो) सेवारत अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के नियमों में विहित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर पात्र होंगे। सफल सेवारत अभ्यर्थियों की पृथक प्रावीण्य सूची नियम–7 के अनुरूप निर्धारित बोनस अंको को जोड़कर संचालनालय द्वारा तैयार की जायेगी।

(तीन) समस्त पात्र सेवारत अभ्यर्थी (चिकित्सा अधिकारी) अपने आवेदन परीक्षा परिणाम सहित संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को प्रस्तुत करेंगे। संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा अधिकारियों की एकजाई बोनस अंक सूची तैयार करेंगे। बोनस अंको की गणना के आधार पर अतिरिक्त अंक जोड़कर उन्हें योग्यता सूची में शामिल कर अंतिम योग्यता सूची संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा तैयार की जायेगी।

(चार) सेवारत अभ्यर्थियों की पारस्परिक योग्यता (इण्टर–सह–मेरिट) ग्रामीण/अधिसूचित/उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में उनकी की गई सेवा के लिए बोनस के अंक जोड़कर निश्चित की जायेगी। ग्रामीण/अधिसूचित/उच्च

प्राथमिकता वाले चिन्हित क्षेत्रों में सेवारत अभ्यर्थी को अधिकतम NEET-PG परीक्षा के प्राप्तांक का 30 प्रतिशत अंक प्राप्त होगा। दो या उससे अधिक सेवारत अभ्यर्थियों को बराबर अंक मिलने की दशा में अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

(पांच) बोनस अंकों की गणना हेतु अधिसूचित/चिन्हित सेवा क्षेत्र के अतिरिक्ति अन्य क्षेत्र अथवा अभ्यर्थी द्वारा सेवा के दौरान अनाधिकृत अनुपस्थिति/अवैतनिक अवकाश को मान्य नहीं किया जायेगा।

(छः) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों पर, प्रावीण्य सूची के अनुसार तथा नियम–8 में यथा उल्लिखित काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा, अभ्यर्थियों को महाविद्यालयवार एवं संकायवार पाठ्यक्रम का आबंटन किया जायेगा।

8. **बोनस अंक (सेवांक) की गणना.–** मेरिट का निर्धारण करने में दूर–दराज के और/या दुर्गम क्षेत्रों में की गई सेवा के लिये प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक पर प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से भारांश, जो कि अधिकतम 30 प्रतिशत तक दिया जा सकता है। दूर–दराज के और दुर्गम क्षेत्र वे होंगे, जो समय–समय पर राज्य सरकार/समक्ष प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए हों:–

(एक) बोनस अंक केवल वर्तमान में सी.आर.एम.सी. क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन NEET-PG प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण सेवारत चिकित्सक, जिन्होने 02 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर ली हो, को प्रदान किये जायेंगे ।

(दो) बोनस अंकों की गणना हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वर्ष के 28 फरवरी की स्थिति में किये गये पूर्ण सेवा वर्षों को सम्मिलित किया जायेगा।

(तीन) बोनस अंको की गणना हेतु वास्तविक कार्य स्थल (Actual Place of Posting) मान्य किये जायेंगे, न की संलग्न कार्य स्थल (Attachment)।

(चार) यदि अभ्यर्थी द्वारा 01 वर्ष में एक से अधिक श्रेणी के क्षेत्रों में कार्य किया गया हो तो बोनस की गणना हेतु अपेक्षाकृत सुगम श्रेणी वाले क्षेत्र में की गई सेवाओं को गणना के लिए आधार बनाया जायेगा।

(पांच) बोनस अंक NEET-PG में प्राप्त अंको के प्रतिशत के अनुपात में प्रदान किये जायेंगे।

(छः) बोनस अंको की गणना के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी अद्यतन सी. आर.एम.सी. सूची में अंकित चिकित्सालयों में पदस्थापना को आधार बनाया जायेगा। जिसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी:–

.....

- सुगम (Normal) क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु शून्य प्रतिशत प्रतिवर्ष।
- कठिन क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु प्राप्तांक का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष।
- दुर्गम एवं अपहुंचनीय क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु प्राप्तांक का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(सात) अपूर्ण सेवा वर्ष के लिये कोई भी बोनस अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे।

(आठ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन की गई सेवा के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा जारी सेवा प्रमाणपत्र, बोनस अंक का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। अन्य प्रकरणों में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी सेवा प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

(नौ) सेवा का प्रमाणपत्र, प्रवेश परीक्षा की अंक सूची आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा बोनस अंक प्रदान किया जायेगा। (परिशिष्ट–तीन)

9. **काउंसिलिंग प्रक्रिया.**– राज्य की प्रीपीजी काउंसिलिंग वर्ष 2017 का कार्यक्रम ऑल इंडिया प्रीपीजी काउंसिलिंग के कार्यक्रम एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार पृथक से घोषित किया जायेगा। काउंसिलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

(1) राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की विषयवार विस्तृत जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी तथा ऐसे विषयों को भी प्रदर्शित किया जायेगा जो केवल अखिल भारतीय कोटे में ही उपलब्ध हैं तथा अभ्यर्थी सीटों के चयन में राज्य कोटे तथा अखिल भारतीय कोटे में उपलब्ध विषयों का समावेश विषय चयन में कर सकेंगे।

(2) इन सीटों में प्रवेश के लिये, प्रावीण्य सूची के आधार पर संचालनालय द्वारा निम्नलिखित रीति में ऑनलाइन काउंसिलिंग की जायेगीः–

(क) उपरोक्त उल्लिखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के पश्चात्, संचालनालय द्वारा दो चरणों में काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रकाशित (घोषित) की जायेगी, समस्त चरणों की काउंसिलिंग प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जायेगी;

(ख) ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होगी। प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि या पूर्व के जारी किये गये प्रमाणपत्र ही संवीक्षा में मान्य किये जायेंगे;

(ग) ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के समय उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही पंजीयन कराना अनिवार्य होगा;

(घ) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों एवं पाठ्यक्रमों का विकल्प प्राथमिकता अनुसार देने हेतु समर्थ होंगे;

(ङ) एक बार प्राथमिकता निर्धारण पश्चात् उनके प्राथमिकता क्रम में, परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु घोषित सीटों के अतिरिक्त अन्य नई विषय की सीटें, जो पूर्व में प्रदर्शित नहीं हुई हो, के लिये प्राथमिकता क्रम में उक्त सीट का विकल्प सम्मिलित करने का प्रावधान होगा;

(च) प्राथमिकता क्रम में विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं भरा है वे काउंसिलिंग हेतु स्वमेव अपात्र हो जायेंगे;

(छ) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क रू. 2000/—का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल पर करना होगा। आबंटन होने के पूर्व अभ्यर्थियों को संचालनालय द्वारा निर्धारित तिथियों में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु उपलब्ध सीटों से तीन गुना अभ्यर्थियों को संचालक द्वारा संवीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा। उक्त संख्या में संचालक द्वारा आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी। संवीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को संकाय एवं महाविद्यालय आबंटन दिया जायेगा। निर्धारित तिथि/समय में किए जाने वाले प्रवेश हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं:—

(एक) 10+2 की अंकसूची (दसवीं व बारहवीं);

(दो) स्नातकोत्तर पूर्व प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र;

(तीन) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. (प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम) की मूल अंकसूची;

(चार) इंटर्नशिप पूर्ण होने (कंपलीशन) का प्रमाणपत्र;

(पांच) छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र (आरक्षित श्रेणी हेतु);

(छः) एम.बी.बी.एस. की स्नातक अस्थाई/स्थाई उपाधि;

(सात) राज्य मेडिकल काउंसिल का अस्थाई/स्थाई पंजीयन प्रमाणपत्र;

(आठ) छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाणपत्र, जाति सत्यापन प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के माह के भीतर सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है;

(नौ) राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी निःशक्तता प्रमाणपत्र;

(दस) निर्धारित प्रारूप में शासकीय सेवा प्रमाणपत्र।

(ज) संवीक्षा में अर्ह होने पर प्रावीण्य सूची के अनुसार संकाय एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जायेगा, जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा तथा आबंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश लेना आवश्यक होगा तत्पश्चात् ही वे आगामी चरणों की काउंसिलिंग में बने रहेंगे तथा प्रावीण्यता अनुसार अपग्रेड प्राप्त करने हेतु योग्य रहेंगे;

(झ) सभी अभ्यर्थी किसी भी समय काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाने का विकल्प दे सकते हैं किन्तु वे पुनः काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे;

(ञ) वे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया के संकाय घोषित अभ्यर्थी को आबंटन प्राप्त होता हैं उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी। संस्था में प्रवेश नहीं लिये जाने पर वे आगामी चरण हेतु अपात्र हो जायेगें तथापि उन्हें अंतिम आबंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया है वे सम्पूर्ण काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे;

(ट) (एक) अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा;

(दो) चिकित्सकीय परीक्षण में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;

(तीन) यदि वे उल्लिखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल हो जाते हैं तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;

(चार) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा, आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा;

(पांच) अंतिम तिथि (माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार) के पूर्व सीट परित्याग करने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा

किये गये शुल्क में से 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी और शेष राशि अभ्यर्थी को वापसी योग्य होगी;

(छः) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश के समय सभी मूल दस्तावेज जमा करने होंगे;

(ठ) सीट आबंटन उपरांत प्रवेशित अभ्यर्थी ही, तथा पूर्व में जिन्हें आबंटन प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु ऑनलाईन पंजीयन में पंजीकृत है उन्हें प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा। नए अभ्यर्थियों का पंजीयन इस प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा;

(ड) द्वितीय चरण की काउंसिलिंग पश्चात् किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीटों को "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" से भरा जायेगा, सीटों को पूर्व में बिना आबंटन प्राप्त पंजीकृत अप्रवेशित पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा। इसके पश्चात् भी यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो उन सीटों हेतु अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा।

10. **आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों का अन्य आरक्षित/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (अंतरण).–** (1) आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों को उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं. 9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(2) आरक्षित श्रेणी में किसी संवर्ग विशेष के पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्त सीटों को उसी संवर्ग की अन्य श्रेणियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) किसी संवर्ग में, उस संवर्ग के, पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(4) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।

11. **छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता व पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने पर क्षतिपूर्ति.–** (1) एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सीटों के अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले समस्त (राज्य कोटा तथा अखिल भारतीय कोटा) अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, दो वर्षों की कालावधि तक छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख का बंध पत्र प्रारूप परिशिष्ट–चार "क"के अनुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत पाठ्यक्रम (पैराक्लिनिकल एवं क्लिनिकल) से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद् द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने की दशा में, अभ्यर्थी को निर्धारित बंधपत्र अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख तथा प्रदाय किये गये स्टायफण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगी। (बंधपत्र का प्रारूप परिशिष्ट–चार "ख" के अनुसार निष्पादित करना अनिवार्य होगा।)

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत पाठ्यक्रम (प्रि–क्लिनिकल) से त्यागपत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद् द्वारा निर्धारित अनाधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी निर्धारित बंधपत्र अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 20 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 15 लाख तथा प्रदाय किये गये स्टायफण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को अभ्यर्थी द्वारा देय होगी। (बंधपत्र का प्रारूप परिशिष्ट–चार "क" एवं "ख" के अनुसार करना अनिवार्य निष्पादित होगा।)

12. प्रवेश रद्द करना.– यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत कर या गलत जानकारी देकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को किसी गलती (चूक) से प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश, संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, संचालक, चिकित्सा शिक्षा का निर्णय, सभी पर बंधनकारी होगा। एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी।

दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन रद्द किया जाना सम्मिलित है। अनाधिकृत रूप से एवं बगैर सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा। इस अनुपस्थिति अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा एवं ऐसे डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित निष्कासित अभ्यर्थी, उनके निष्कासन की तिथि से क्रमशः आगामी तीन वर्ष के लिये एवं आगामी दो वर्ष के लिये राज्य की स्नातकोत्तर सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे। प्रवेश रद्द होने की स्थिति में नियम–11 में विहित प्रावधान लागू होंगे। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगे।

13. **कठिनाइयों का निराकरण/निर्वचन.**— इन नियमों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में या इन नियमों के निर्वचन में कोई कठिनाई उद्भूत होती हो तो राज्य शासन आदेश द्वारा, जो नियमों के प्रावधानों से असंगत न हो, इनका निर्वचन/कठिनाईयां दूर कर सकेगी।

14. **प्रावीण्य सूची की समाप्ति.**— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रवेश वर्ष की 30 जून या उस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि को प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें व्यपगत हो जायेंगी।

15. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2016 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु यह कि इस प्रकार निरसित उक्त नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

परिशिष्ट–एक

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप

क्रमांक .... दिनांक..............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.. आत्मज/आत्मजा/पत्नी ....निवासी... ....तहसील... जिला ....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकिः वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई–

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

3. उसके पालकों में से कोई भी –

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है। उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगाः

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्यप्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है।

6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थातः–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडीएट हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा।

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत् जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

परिशिष्ट–दो

प्रारूप

राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़

फोन नं.–0771–2234451, फैक्स नं. 0771–2222212

E-mail : cgdme@rediffmail.com

क्रमांक / / संचिशि / प्रशा. अधि. / रायपुर, दिनांक

प्रमाणपत्र

दो पासपोर्ट
साईज का
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...., पिता– श्री ...., उम्र–.................वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक .... के साथ संलग्न जिला / संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाणपत्र क्रमांक................, दिनांक.....................के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण उपरांत उनकी स्थायी शारीरिक निःशक्तता ....पाई गई। उनकी कुल निःशक्तता .... प्रतिशत है ।

पहचान का निशान– ....

(अध्यक्ष)	(सदस्य)	(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड	राज्य मेडिकल बोर्ड	राज्य मेडिकल बोर्ड

परिशिष्ट–तीन

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाणपत्र का प्ररूप "ख"

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

अद्यतन पासपोर्ट साइज का संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो

सेवा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ ————————— पिता/पति————————— ने दिनांक ————————— से दिनांक ————————— की अवधि में कुल ——————— वर्ष ——————— माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

(क)——————विकासखंड—————जिला(छत्तीसगढ़–ग्रामीण–मेडिकल–कोर क्षेत्र)————वर्ष————माह

(ख)——————विकासखंड————जिला(छत्तीसगढ़–ग्रामीण–मेडिकल–कोर क्षेत्र)————वर्ष————माह

(ग)——————विकासखंड—————जिला(छत्तीसगढ़–ग्रामीण–मेडिकल–कोर क्षेत्र)————वर्ष————माह

(घ)——————विकासखंड—————जिला(छत्तीसगढ़–ग्रामीण–मेडिकल–कोर क्षेत्र)————वर्ष————माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को कुल........... अंको के (शब्दों में).......................... सेवांक की पात्रता है ।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें

परिशिष्ट–चार (क)

(250/–के नानजूडिशल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र का प्रारूप)

1. मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी .... छत्तसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन स्नातकोत्तर चिकित्सा (एमडी/एमएस/डिप्लोमा) पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

2. यह कि मुझे वर्ष 20...... में आयोजित "NEET-PGपीजी'' 20..... प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 20....–..... में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीट आबंटित की गई है।

3. यह कि वर्ष 20.....–..... की काउंसिलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.................... रायपुर दिनांक .... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भांति समझ लिया है। इस नियम के नियम 11 जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जिसे मैंने भली भांति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी ।

5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता
   श्री................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................................निवासी........................ ....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख की वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी ।

6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जायेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जायेगा।

8. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्ध पत्र स्वमेव निरस्त समझा जायेगा।

9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाहः—

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

1................................हस्ताक्षर

2................................ हस्ताक्षर

गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो	आवेदक का फोटो

प्रतिभूतिकर्ता

मैं....................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..................................निवासी ....उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

परिशिष्ट – चार (ख)
(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/–के नानजूडिशल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी.......................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक .... "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, ..." को भली भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूं।

3. मैं एतद्द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता हूं कि:–

   (क) यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा इस शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत मेरे द्वारा प्रवेशित सीट (जो लागू न हो उसे काट दिया जाये)–

   (एक) (पैरा क्लिनिकल एवं क्लिनिकल) से त्याग पत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद् द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 50 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 40 लाख तथा प्रदाय स्टायपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (दो) (प्रि–क्लिनिकल) से त्याग पत्र देने अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना सीट पाठ्यक्रम के मध्य में परित्याग करने या परिषद् द्वारा निर्धारित अनधिकृत अवधि तक अनुपस्थित रहने पर बंधपत्र अनुसार अनारक्षित अभ्यर्थी को रू. 20 लाख तथा आरक्षित अभ्यर्थी को रू. 15 लाख तथा प्रदाय किये गये स्टायपण्ड की राशि (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।

   (ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाणपत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।

(घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(ङ) यह कि प्रवेश नियम की कंडिका 11– सीट परित्याग/निष्कासन उक्त नियम लागू होंगे।

आवेदक का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो

गवाहः–

1................................हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

2................................ हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघंन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लिखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.